निर्णय बइजलास द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जिला राजसमन्द

प्र0सं0 4 /2018/प्रा.पत्र/

निर्णय दिनांक :– 21 /3/.2018

अनवान

श्री जगपालसिंह पिता भादूसिंह आयु 55 वर्ष जाति रावत निवासी ग्राम टाडगढ तहसील टाडगढ जिला अजमेर(राज0)

प्रार्थी

बनाम

1– श्री नारायणसिंह पिता वरदसिंह आयु बालिग जाति रावत निवासी कुशलपूरा तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

2– श्री भंवर पिता रतना भील आयु बालिग जाति भील निवासी कुशलपूरा तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

3– पुनमसिंह पिता गंगासिंह आयु बालिग जाति रावत निवासी चक कालागुन तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी

उपस्थित :– श्री लुम्बसिह वकील प्रार्थी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम चक कालागुन. पटवार हल्का ताल में प्रार्थी की भूमि स्थित है जिसके खा.न. 207/51 रक्बा 7 बीघा है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थीगण ही इसका उपयोग उपभेग कर रहें है। उक्त कुलिया भूमि पर प्रार्थीगण निर्बाध रूप से कास्त वगैरह करता आ रहा है लेकिन प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की दीवार अथवा पक्की बाउण्ड्री नही होने से विपक्षीगण को प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पड़ौसी है हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के समय सीमा संबंधी विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमेबाजी हेतु विवश होना पड़ता है मौके पर अशान्ती रहती

सहायक कलेक्टर
...जिला राजसमन्द

निरन्तर पेज 2 पर

है जिससे प्रार्थीगण शान्तिपूर्ण कास्त उपयोग उपभेग भूमि का नही कर पा रहें है प्रार्थीगण की उक वर्णित भूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान ह जाएगा तथा प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक काश्त वगैरह कर सकेगा। अतः पत्थरगढी के आदेशप्रदान करार जावे।

प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रा.पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामिल हो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें। जससे एक तरफा कार्यवाही की गई ।वकील प्रार्थी ने प्रकरण में वहस की। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम चक कालागुऩ पटवार हल्का ताल में प्रार्थी की भूमि स्थित है जिसके खा.न.207/51 रक्बा 7 बीघा है।जिसके प्रार्थी ने पूर्व में पत्थरगढी नही करवाई है। भूमि की पत्थरगढ़ी नही कराने तथा भूमि के स्थाई सीमा चिन्ह अथवा पत्थर की पक्की दीवार नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के पड़ौसी खातेदार है हर समय फसल बुवाई, कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते है तथा प्रार्थी की भूमि में प्रवेश कर जाते हैं मौके पर सीमा संबंधी विवाद रहता है तथा प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिए विवश होना पड़ता है यदि प्रार्थी की उक्त वर्णितभूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो प्रार्थी अपनी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर सकेगा तथा काश्त वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि की पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करावें।

हमनें प्रार्थीगण के प्रा.पत्र नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का स्वादडी ए तहसील देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं. 2068–2071 में प्रार्थी खातेदार है। खातेदार अपने खाते की भूमि का पत्थरगढ़ी करा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के खाते की भूमि खा.न. 207/51 रक्बा 7 बीघा है। की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकरान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढी कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णण आज दिनांक 21/ 03/2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द